भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2143

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्लोबल टीबी रिपोर्ट – 2025

†2143. श्री जय प्रकाशः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तपेदिक के बढ़ते मामलों के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट -2025' की समीक्षा की है;
(ख) यदि हाँ, तो इस बीमारी को नियंत्रित करने की सरकार की पहल में बाधा बने कारकों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) देश में तपेदिक की दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में टीबी के मामलों की दर में 21% की गिरावट आई है, जो वर्ष 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर वर्ष 2024 में 187 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, उपचार कवरेज में वर्ष 2015 में 53% से सुधार होकर वर्ष 2024 में 92% हो गया है, जो सरकार द्वारा सभी छूटे हुए मामलों का पता लगाने और शीघ्र उपचार शुरू करने के प्रयासों के कारण संभव हुआ है। परिणामस्वरूप, मामलों की सूचना वर्ष 2015 में 16.07 लाख से बढ़कर वर्ष 2024 में 26.18 लाख हो गई है, जिससे छूटे हुए टीबी के मामलों में कमी आई है।

टीबी मुक्त भारत अभियान (राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत, टीबी के गैर-नैदानिक मामलों की

पहचान करने, टीबी से होने वाली मौतों को कम करने और नए संक्रमणों को रोकने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसमें संवेदनशील जनसंख्या की पहचान, छाती के एक्स-रे द्वारा जांच, सभी संभावित टीबी मामलों के लिए प्रारंभिक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (एनएएटी), शीघ्र और उचित उपचार की शुरुआत, उच्च जोखिम वाले टीबी मामलों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट टीबी परिचर्या, पोषण सहायता और परिवार के सदस्यों तथा पात्र कमजोर आबादी के लिए निवारक उपचार शामिल हैं। देश में टीबी की दर को कम करने के लिए कार्यक्रम के तहत उठाए गए उपायों का विवरण निम्नानुसार है:

• राज्य और जिला विशिष्ट कार्यनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी प्रभावित क्षेत्रों में लक्षित कार्यकलाप।
• टीबी रोगियों को निःशुल्क दवाएं और निदान उपकरण उपलब्ध कराना।
• प्रमुख संवेदनशील जनसंख्या और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सक्रिय टीबी मामलों के लिए खोज अभियान चलाना।
• आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर तक विकेंद्रीकृत टीबी जांच और उपचार सेवाएं।
• उपचार परिणामों की सूचना और रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
• उप-जिला स्तर तक आणविक निदान प्रयोगशालाओं का विस्तार।
• कलंक को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान।
• टीबी उन्मूलन के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रयासों और संसाधनों का समन्वयन।
• टीबी रोगियों के संपर्क में आए लोगों और पात्र कमजोर आबादी को टीबी निवारक उपचार उपलब्ध कराना।
• नि-क्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों की निगरानी करना।

*****